प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2020

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 29.09.2020 को हुए हत्या का खुलासा, हत्या में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल लोहे की राड बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री नन्दलाल के नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस तथा स्वाट टीम को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 29.09.2020 को जरिये मुखबिर की सूचना पर **मीरपुर रहीमा बाद तमसा नदी पुल के पास से**, थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 703/20 धारा 302 भादवि में संलिप्त अभियुक्त **नगीना साहनी पुत्र सीता साहनी निवासी मीरपुर रहीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद मऊ** को आज दिनांक 07.10.2020 को गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर मीरपुर रहीमाबाद में बंद पड़े लाल बहादुर स्कूल के पास से आलाकत्ल लोहे की राड बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.10.2020 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत पुराघाट नदी पुल के पास किनारे झाड़ियों में एक शव मिला था जिसकी पहचान विनोद साहनी पुत्र नन्दलाल साहनी निवासी मीरपुर रहीमबाद थाना मुहम्मदाबाद मऊ के रूप में हुयी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद में मृतक के पिता की तहरीर पर मु0अ0सं0 703/20 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पूछताछ में उक्त नगीना साहनी पुत्र सीता साहनी द्वारा बताया गया कि मृतक विनोद साहनी हमारे पडोस में रहता था जिसका मेरे परिवार से बहुत ही ज्यादा मधुर सम्बन्ध थे, जो मुझे अच्छा नही लगता था, इस बात को लेकर मैने उसे कई बार मना किया था पर वह नही माना। मै उसे मारने के लिए बहुत पहले से ही फिराक में था, दिनांक 29.09.2020 को मुझे पता चला कि विनोद साहनी रात मे मछली मारने के लिए नदी की तरफ जा रहा है। इस पर मैं बंद पुराने स्कूल के पास उसका इंतजार करने लगा, तभी मैने मौका पाकर लोहे की राड से उसके सर पर प्रहार कर दिया जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा तत्पश्चात उसे घसीट कर नदी में फेंक दिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. नगीना साहनी पुत्र सीता साहनी निवासी मीरपुर रहीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद मऊ।

बरामदगी–

1. आलाकत्ल एक अदद लोहे की राड।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक श्री राजेश प्रसाद यादव प्रभारी स्वाट टीम, का0 सर्वेश यादव, अनिल यादव, नीरज यादव, अजय यादव व चालक नागेन्द्र सिंह स्वाट टीम व सर्विलांस टीम।

निरीक्षक श्री नीरज पाठक प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद, उ0नि0 उमरान खान, का0 सर्वेश, रोहित कुमार, विजय, रामप्रसाद, मनीष थाना मुहम्मदाबाद।

03 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्टल, 02 अदद तमंचा, 17 कारतूस, 05 किग्रा0 गांजा व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज

SOCIAL MEDIA CELL MAU

दिनांक 07.10.2020 को देखाभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर धनौली मोड़ के पास से तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पिस्टल व 10 कारतूस 32 बोर, 02 अदद तमंचा व 07 कारतूस 315 बोर, 05 किग्रा0 गांजा व चोरी की मोटरसाईकिल पल्सर बरामद किया गया। पूछताछ में उक्त अभियुक्तों द्वारा अपना नाम क्रमशः अतुल पटेल पुत्र रवीन्द्र सिंह निवासी बनकटिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, भानूप्रताप सिंह उर्फ बबलू पुत्र मान सिंह निवासी विधनापार थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर व अमरनाथ पुत्र रामदरश निवासी हरैयडाड थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर बताया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 458,459,460/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0, मु0अ0सं0 457/20 धारा 411,414,419,420 भादवि व मु0अ0सं0 461/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–</u>

1– अतुल पटेल पुत्र रवीन्द्र सिंह निवासी बनकटिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2– भानूप्रताप सिंह उर्फ बबलू पुत्र मान सिंह निवासी विधनापार थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

3– अमरनाथ पुत्र रामदरश निवासी हरैयडाड थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी–

1. एक पिस्टल व 10 कारतूस 32 बोर।
2. 02 अदद तमंचा व 07 कारतूस 315 बोर।
3. 05 किग्रा0 नाजायज गांजा।
4. चोरी की मोटरसाईकिल पल्सर।

<u>गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–</u>

उ0नि0 श्री सच्चिदानंद यादव थानाध्यक्ष दोहरीघाट, उ0नि0 जगदीश सिंह, का0 अभिषेक यादव, अनिल चौधरी, सौरभ गुप्ता।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 07.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 97/20 धारा 457,380 भादवि0 में वांछित अभियुक्त प्रेम पुत्र पारस निवासी कमथरी थाना चिरैयाकोट मऊ, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 397/20 धारा 323,506,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सोनू राय पुत्र उदय शंकर राय निवासी गाढ़ा थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

50 लीटर अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार–

आज दिनांक 07.10.2020 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान काछिकला के पास से सुखीया पुत्र लालू निवासी काछिकला थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से 50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 07.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण कुबेर पुत्र रामपत, श्रवण पुत्र महावीर निवासीगण भीखारीपुर थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

SOCIAL MEDIA CELL MAU